न्यायालय– अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सादुलशहर, जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : मीना गहलोत, आर.जे.एस.
नम्बरी फौजदारी प्र. संख्या : 530/2022
सी.आई.एस. नं० : 530/2022
सी.एन.आर.नं. : RJSG180009652022

मोहित ट्रेडर्स–जरिये एकल स्वामिनी श्रीमति सोनिया भूतना पत्नी विमल भूतना, उम्र–38 वर्ष, निवासी–वार्ड नम्बर 01, शहीद मार्ग सादुलशहर, तहसील–सादुलशहर, जिला–श्रीगंगानगर जरिये मुखत्यार आम–विमल कुमार पुत्र कुलवंत राय, उम्र 38 वर्ष, निवासी–वार्ड नम्बर 01, शहीद मार्ग सादुलशहर, तहसील–सादुलशहर, जिला–श्रीगंगानगर।

––परिवादी

बनाम

राजेन्द्र जालप पुत्र रूकमाल जालप , उम्र–47 वर्ष, अधिकृत हस्ताक्षरी–जालप इन्टरप्राईजेज–नजदीक दुर्गा मन्दिर के सामने सादुलशहर, निवासी– हाथियांवाली, तहसील–सादुलशहर, जिला–श्रीगंगानगर।

–– अभियुक्त

अपराध अन्तर्गत धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम

उपस्थिति :–

1– परिवादी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री लक्ष्मीनारायण सहगल व श्री सुभाषचंद्र पटीर।

2– अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री संत कुमार।

:: निर्णय :: दिनांक :–12.05.2026

01– परिवादी फर्म द्वारा अभियुक्त फर्म के विरुद्ध एक परिवाद अंतर्गत धारा 138 एन.आई.एक्ट के तहत इस न्यायालय के समक्ष इस आशय का पेश किया कि परिवादी फर्म से अभियुक्त फर्म जालप इन्टरप्राईजेज –अधिवकृत हस्ताक्षरी राजेन्द्र जालप का लेनदेन रहा है। इसी क्रम में अभियुक्त की फर्म ने परिवादी फर्म से जालप इन्टरप्राईजेज के लिये सामान की खरीद फरोख्त करता रहा है। अभियुक्त ने परिवादी फर्म से उधार में माल खरीद किया था तथा इस वैध देनदारी पेटे अभियुक्त ने परिवादी फर्म को अपनी ही एक अन्य फर्म जालप इन्टरप्राईजेज , सादुलशहर के अधिकृत

हस्ताक्षर के तौर पर दिनांकित 04.12.2017 को रुपये 48,700/-रुपये का एक चैक नंबर 282757 बैंक पंजाब नैशनल बैंक शाखा सादुलशहर का अपने हस्ताक्षरों से निष्पादित कर सादुलशहर में दिया था। उपरोक्त चैककृत राशि का भुगतान प्राप्त करने के लिए परिवादी ने उपरोक्त चैक को अपने खाते वाले कैनरा बैंक शाखा सादुलशहर में दिनांक 26.02.2018 को पेश किया, जो दिनांक 26.02.2018 को असल चैक मय ज्ञापन मीमो पर "Funds insufficient" का नोट लगाते हुए चैक अनादृत कर परिवादी को वापिस लौटा दिया गया। इस प्रकार अभियुक्त के द्वारा जारी किये गये उक्त चैक का भुगतान परिवादी को प्राप्त नहीं हुआ है। तत्पश्चात् भुगतान नहीं होने पर परिवादी ने जरिये अधिवक्ता एक पंजीकृत नोटिस दिनांक 06.03.2018 को उपरोक्त तथ्यों को अंकित करते हुए अभियुक्त के उक्त वर्णित सही पते पर भिजवाया, जो अभियुक्त को दिनांक 09.03.2018 को प्राप्त हो गया, लेकिन अभियुक्त को नोटिस मिलने के बाद भी चैककृत राशि का भुगतान नहीं किया, जोकि अभियुक्त का उक्त कृत्य धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के तहत दण्डनीय अपराध है, जिसमें अभियुक्त के विरुद्ध कार्यवाही कर उसके कृत्य की सजा दिलाई जाने एवं चैककृत राशि व नियमानुसार क्षतिपूर्ति दिलवाई जाने का निवेदन किया।

02- न्यायालय द्वारा उक्त परिवाद पर बाद सुनवाई दिनांक 13.07.2022 को धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के अपराध का प्रसंज्ञान लिया गया एवं अभियुक्त के उपस्थित आने पर उसे उक्त धारा के अपराध का आरोप मौखिक रूप से सुनाया व समझाया गया जिसे सुन-समझकर अभियुक्त ने अपराध करना अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही।

03- परिवादी पक्ष की ओर से मौखिक साक्ष्य स्वरूप पी.डब्ल्यू.1 विमल कुमार की साक्ष्य लेखबद्ध करवायी गई तथा प्रलेखीय साक्ष्य स्वरूप निष्पादित मुख्त्यारनामा प्रदर्श पी. 01, असल चैक प्रदर्श पी. 2, चैक वापसी ज्ञापन मीमो प्रदर्श पी. 03, नोटिस प्रदर्श पी. 04, डाक रसीद प्रदर्श पी. 05 , डाकपाल को डाक वितरण के प्रमाण हेतु प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र प्रदर्श पी. 06, नोटिस की डाक वितरण के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र प्रदर्श पी. 07 व परिवाद प्रदर्श पी. 08 है। पेश कर प्रदर्शित करवाए गए।

04- अभियुक्त के बयान मुल्जिम अंतर्गत धारा 313 दं.प्र.स. में लेखबद्ध किए गए। अभियुक्त ने परिवादी साक्ष्य को गलत बताते हुये कथन किया कि वह निर्दोष है, उसे

झूठा फसाया गया है एवं साक्ष्य प्रतिरक्षा पेश करना नहीं चाहा।

05- बहस अंतिम सुनी गई। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन प्रकरण में न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित विचारणीय बिन्दू यह है किः-

"क्या अभियुक्त द्वारा परिवादी फर्म से उधार ली गई राशि के विधिक दायित्व के भुगतान पेटे बैंक पी.एन.बी. शाखा सादुलशहर का चैक संख्या 282757 दिनांक 04.12.2017 राशि 48700/- रूपयें का दिया, जिसे भुगतान हेतु बैंक में प्रस्तुत करने पर उक्त चैक "Funds Insufficient'' के ज्ञापन मीमो के साथ अनादरित कर परिवादी को लौटा दिया गया जिस पर परिवादी द्वारा नियत अवधि के भीतर नोटिस दिये जाने के बावजूद भी अभियुक्त द्वारा उक्त चैक में वर्णित राशि का भुगतान परिवादी को नहीं किया गया? ''

यदि हाँ तो अभियुक्त को किस दण्ड से दण्डित किया जावे?

06- परिवादी अधिवक्ता द्वारा उक्त विचारणीय बिन्दु के संदर्भ में दौराने बहस तर्क रहे कि परिवादी फर्म ने अभियुक्त फर्म को माल उधार दिया, जिसके भुगतान बदले अभियुक्त ने प्रश्नगत चैक दिया, जो भुगतान हेतु बैंक में प्रस्तुत करने पर बैंक द्वारा अनादृत कर दिया गया, जिसकी सूचना जरिये अधिवक्ता अभियुक्त को दिये जाने के बावजूद अभियुक्त ने भुगतान नहीं किया। परिवादी की प्रतिपरीक्षा में नकारात्मक साक्ष्य नहीं आई, जिससे परिवादी के कथनों का खण्डन होता हो। इस प्रकार अभियुक्त का उक्त कृत्य धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के तहत दण्डनीय अपराध है, जिसमें अभियुक्त के विरुद्ध कार्यवाही कर उसके कृत्य की सजा दिलाई जाने का निवेदन किया।

इसके विपरित विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त का तर्क रहा है कि वह निर्दोष है, उसे झूठा फसाया गया है। परिवादी ने अभियुक्त को माल बेचने के संबंध में कोई बिल पेश नहीं किया, ना ही लेनदेन बाबत् कोई दस्तावेज पेश किया है। डिलीवरी रिपोर्ट प्रदर्श 07 पर आर्टिकल डिलीवर्ड दिनांक 09.03.2018 को हो गई थी, परंतु परिवाद दिनांक 16.05.2018 को 45 दिवस के पश्चात पेश किया है। पत्रावली में ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया कि अभियुक्त फर्म भागीदारी फर्म है या एकल फर्म। परिवादी फर्म की प्रोपराईटर श्रीमति सोनिया होना परिवादी ने अपनी जिरह में स्वीकार किया है, जबकि

सोनिया स्वयं न्यायालय के समक्ष परीक्षित नहीं हुई है। परिवादी ने अभियुक्त फर्म के साथ हुए लेनदेन व्यवहार के संबंध में अनभिज्ञता जाहिर की है। परिवादी का परिवाद मिथ्या तथ्यों पर आधारित है। परिवादी अभियुक्त के चैक का दुरुपयोग किया है। इसलिये निवेदन है कि अभियुक्त को आरोपित अपराध से दोषमुक्त घोषित किया जावे।

07. बहस अंतिम सुनने, पत्रावली का अवलोकन करने, प्रस्तुत माननीय न्यायिक दृष्टांत का ससम्मान अध्ययन कर मार्गदर्शन प्राप्त करने तथा संबंधित विधि का परिशीलन करने पर न्यायालय का समाधान इस प्रकार है कि परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 139 के तहत प्रावधानित है कि **"जब तक कि अन्यथा साबित न कर दिया जाए यह उपधारणा की जावेगी कि चैक के धारक ने वह चैक धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम में निर्दिष्ट किसी ऋण अथवा दायित्व के भागतः या पूर्णतः उन्मोचन के लिए प्राप्त किया है तथा इस धारा के प्रयोजनार्थ ऋण/दायित्व से अभिप्रायः विधितः प्रवर्तनीय ऋण अथवा दायित्व से है।**

08. **इसके अलावा धारा 118 परक्राम्य लिखत अधिनियम के तहत चैक के सप्रतिफलार्थ होने बाबत् उपधारणा परिवादी के पक्ष में की जाती है। "** यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त उपधारणाएं खंडनीय उपधारणाएं है, जिनका कि खंडन करने का भार सदैव अभियुक्त पर रहता है। यद्यपि विधिनुसार उक्त उपधारणाएं परिवादी के पक्ष में की जाती है, तथापि उक्त उपधारणाएं न्यायालय द्वारा उसी परिस्थिति में की जा सकती है, जब परिवादी अपने पक्ष में कोई साक्ष्य अथवा सामग्री पत्रावली पर प्रस्तुत करता है। विधिनुसार उपधारणा गठित करने के लिए उपधारणा के संबंध में आवश्यक तथ्य साक्ष्य द्वारा न्यायालय के समक्ष प्रकट किए जाने व साबित किए जाने जरूरी हैं। **धारा 101 भारतीय साक्ष्य अधिनियम** के प्रावधानों के अनुसार **"जो कोई न्यायालय से यह चाहता है कि वह ऐसे किसी विधिक अधिकार या दायित्व के बारे में निर्णय दे, जो तथ्यों के अस्तित्व पर निर्भर है, जिन्हें वह प्रख्यात करता है, उसे साबित करना होगा कि उन तथ्यों का अस्तित्व है।"**

धारा 118. परक्राम्य लिखत के बारे में उपधारणाएं.– जब तक कि प्रतिकूल साबित नहीं कर दिया जाता, निम्नलिखित उपधारणाएं की जाएंगीः–

(क) प्रतिफल के विषय में यह कि हर एक परक्राम्य लिखत प्रतिफलार्थ रचित या लिखी गई थी और यह कि

हर ऐसी लिखत जब प्रतिगृहीत, पृष्ठांकित, परक्रामित या अन्तरित हो चुकी हो तब वह प्रतिफलार्थ, प्रतिगृहीत, पृष्ठांकित, परक्रामित या अन्तरित की गई थी;

(ख) तारीख के बारे में यह कि ऐसी हर परक्राम्य लिखत जिस पर तारीख पड़ी है, ऐसी तारीख को रचित या लिखी गई थी;

09. **धारा 139. धारक के पक्ष में उपधारणाः–** यदि तत्प्रतिकूल साबित न हो तो ऐसी उपधारणा की जाएगी कि चैक के धारक ने धारा 138 में उल्लिखित किसी ऋण या अन्य दायित्व का पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से निर्वाह करने के लिए चैक प्राप्त किया था। उक्त विधिक प्रावधान की रोशनी में वर्तमान मामले में परिवादी द्वारा अपनी मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा अपने मामले को साबित किया जाना था। इस संबंध में यदि परिवादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का अवलोकन करें तो हस्तगत प्रकरण में परिवादी ने अपने परिवाद में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी मुख्य परीक्षा में अभिकथन किया कि अभियुक्त ने परिवादी फर्म से लिये गये माल पेटे रुपये परिवादी को देने थे और रुपयों की अदायगी बाबत् अभियुक्त ने प्रश्नगत चैक परिवादी को सुपुर्द किया। अभियुक्त द्वारा जारी किया गया चैक बैंक में प्रस्तुत होने पर funds Insufficient होने के आधार पर अनादृत हो गया। इसके पश्चात् परिवादी द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से एक पंजीकृत नोटिस अभियुक्त को भेजा गया जो। इसके उपरान्त अभियुक्त ने परिवादी को चैक की राशि का भुगतान नहीं किया।

10. उक्त विचारणीय बिन्दु के संदर्भ में सर्वप्रथम न्यायालय को यह अवधारित करना है कि क्या प्रश्नगत चैक प्रदर्श–1 पर ए से बी अभियुक्त राजेन्द्र जालप के हस्ताक्षर हैं। इस संबंध में स्वयं अभियुक्त द्वारा धारा 313 द.प्र.सं. के तहत कथन किए गए कि वह निर्दोष है, उसे मुकदमा में झूठा फसाया गया है। किंतु प्रश्नगत चैक प्रदर्श–1 पर अभियुक्त के हस्ताक्षर न हो, इस संबंध में अभियुक्त की कोई इन्कारी नहीं आई है और जहां चैक पर हस्ताक्षर होना साबित हो जाता है उसके संबंध में धारा 118 व 139 में उक्तानुसार उपधारणा का प्रावधान है।

11. परिवादी के पक्ष में सृजित उपधारणा को खण्डित करने के लिए अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा यह प्रतिरक्षा ली गई कि अभियुक्त फर्म से परिवादी फर्म का लेनदेन होने बाबत् परिवादी की ओर से कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं की गई है। परिवादी ने अभियुक्त को माल बेचने के संबंध में कोई बिल पेश नहीं किया। परिवादी फर्म की प्रोपराईटर श्रीमति सोनिया होना परिवादी ने अपनी जिरह में स्वीकार किया है, किंतु श्रीमति सोनिया को न्यायालय के समक्ष पेश कर परीक्षित नहीं करवाया है। इस संबंध में परिवादी पी.डब्ल्यू. 01 विमल कुमार की प्रतिपरीक्षा का अवलोकन करें तो परिवादी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि फर्म मोहित ट्रेडर्स की एकल स्वामी श्रीमति सोनिया है। आगे यह स्वीकार किया कि इस फर्म का लेनदेन देखरेख श्रीमति सोनिया करती है। फर्म जालप इन्टरप्राईजेज का फर्म मोहित ट्रैडर्स् से क्या लेनदेन व क्या व्यवहार रहा, ये श्रीमति सोनिया को पता है। फर्म जालप इन्टरप्राईजेज का प्रोपराईटर राजेन्द्र जालप हो ऐसा कोई दस्तावेज नहीं है, ना ही उसने पत्रावली में पेश किया। चैक प्रदर्श पी. 02 जालप इन्टरप्राईजेज का चैक है। उसकी जानकारी में है कि राजेन्द्र जालप ने ही फर्म मोहित ट्रेडर्स पर चैक दिया था, खुद कहा कि वह भी दुकान पर बैठता है। इस प्रकार परिवादी ने अपने परिवाद में अभियुक्त की फर्म द्वारा परिवादी फर्म से जालप इन्टरप्राईजेज के लिये सामान की खरीद फरोख्त करना एवं अभियुक्त द्वारा परिवादी फर्म से उधार में माल खरीद करने की ऐवज में प्रश्नगत चैक दिया जाना बताया है, उस माल का बिल या किसी प्रकार किये गये लेनदेन बाबत् कोई भी बिल या बहियां इत्यादि पेश नहीं की है, ना ही ऐसे किसी दस्तावेज की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित करवाया है, जिससे परिवादी फर्म व अभियुक्त फर्म के मध्य हुए संव्यवहार या लेनदेन साबित होता हो। बल्कि परिवादी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में इस तथ्य को स्वीकार किया है कि मोहित ट्रेडर्स के साथ फर्म जालप इन्टरप्राईजेज के साथ लेनदेन संबंधी कोई खाता बही या अन्य कोई बहियात, बिल, वाऊचर पत्रावली में नहीं है। इसके अलावा परिवादी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में फर्म की लेनदेन की देखरेख श्रीमति सोनिया द्वारा किया जाना एवं फर्म जालप इन्टरप्राईजेज का फर्म मोहित ट्रैडर्स से हुए लेनदेन व्यवहार बाबत् श्रीमति सोनिया को पता होने बाबत् कथन किये हैं, किंतु परिवादी की ओर से श्रीमति सोनिया को न्यायालय के समक्ष पेश कर परीक्षित नहीं करवाया है, जिससे अभियुक्त का परिवादी फर्म के साथ हुए व्यवहार को साबित करता हो। ऐसे में परिवादी अपनी मौखिक एवं दस्तावेजी

साक्ष्य से प्रश्नगत चैक बाबत् हुए लेनदेन को संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है। ऐसी दशा में यह साबित नहीं होता है कि अभियुक्त द्वारा प्रश्नगत चैक किसी विधिक दायित्व के उन्मोचन पेटे दिया गया हो। अतः उपर्युक्त विवेचनानुसार प्रथमतः परिवादी अपने पक्ष में अपनी मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से किसी प्रकार की अभियुक्त के विरुद्ध उपधारणा को सृजित करने में असफल रहा है। इस प्रकार उपरोक्त विवेचन-विश्लेषण के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध धारा 138 एन आई एक्ट का अपराध प्रमाणित नहीं होता है। लिहाजा अभियुक्त को आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 138 एन आई एक्ट के तहत संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

12. निष्कर्षतः अभियुक्त राजेन्द्र जालप पुत्र रूकमाल जालप , उम्र-47 वर्ष, अधिकृत हस्ताक्षरी-जालप इन्टरप्राईजेज-नजदीक दुर्गा मन्दिर के सामने सादुलशहर, निवासी- हाथियांवाली, तहसील-सादुलशहर, जिला-श्रीगंगानगर को अपराध अन्तर्गत धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 के आरोप में संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित घोषित किया जाता है।

अभियुक्त द्वारा पूर्व में प्रस्तुत हाजरी बाबत जमानत मुचलके तत्काल प्रभाव से निरस्त किए जाते हैं।

(मीना गहलोत)

13. निर्णय आज दिनांक 12.05.2026 को मेरे द्वारा वितृत न्यायालय में लिखाया व सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया।

(मीना गहलोत)

Signature Not Verified
Digitally signed by
Date: 2026.05.25 00:46:12 IST